



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2011/चैत्र 3, 1933

No. 507]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2011

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2011

का.आ. 622(अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 4 जून, 1991 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध), अधिसूचना सं. का.आ. 298(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी बनाए जाने के लिए कांडला पत्तन न्यास के अधिकारी होने के कारण, निम्न तालिका के कॉलम (1) में उल्लेखित अधिकारियों को नियुक्त करता है। कथित अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त तालिका के कॉलम (2) में तदनुसार प्रविष्टि में स्पष्ट सरकारी स्थान के संबंध में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, 'संपदा अधिकारी' द्वारा या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

S.O. 622(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in partial modification of the Government of India, Ministry of Shipping (Ports Wing), Notification No. S.O. 298(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 4th June, 1991, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column (1) of the Table below, being the officers of the Kandla Port Trust, to be the Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

(1)	(2)
1. श्री सुरेश बलान उप-सचिव (संपदा) कांडला पत्तन न्यास	कांडला भूमि मामले
1. श्री वी. मुरलीधरन उप-सचिव (सामान्य) कांडला पत्तन न्यास	पत्तन क्वार्टरों के मामले

(1)	(2)
1. Shri Suresh Balan, Deputy Secretary (Estate) Kandla Port Trust	Kandla Land matters
2. Shri V. Muralidharan, Deputy Secretary (Gen.) Kandla Port Trust	Ports Quarters matters

2. उक्त नियुक्तियाँ अधिकारी राजपत्र में यह अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[फा. सं. ए-12011/2/2009-पीई-II]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

[F.No. A-12011/2/2009-PE-II]  
RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

1075 GI/2011